जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 06.07.2023 को जिलाधिकारी महोदय, बलिया की अध्यक्षता में जनपद–बलिया में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु नामित सम्बन्धित एजेन्सियों के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 06.07.2023 को जिलाधिकारी महोदय, बलिया की अध्यक्षता में जनपद–बलिया में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु नामित सम्बन्धित एजेन्सियों के कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित अधिकारियों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, बलिया।
4. डी०पी०एम० कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया।
5. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बलिया।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
7. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बलिया।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, (वि०/याँ०),उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), सोनभद्र।
9. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, बलिया।
10. अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल विभाग, बलिया।
11. सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, बलिया।
13. टीम लीडर, मेसर्स मेधज लि, (टी.पी.आई.)।
14. समस्त संस्था प्रमुख इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सीज़।
15. टीम लीडर, मेसर्स प्योर लाइफ, बलिया।
16. टीम लीडर, स्वजन फाउण्डेशन, बलिया।

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद बलिया में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत सतही आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही प्रगति, पूर्व निर्माणधीन परियोजनाओं में विद्युत संयोजन की स्थिति, इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी के कार्यो की प्रगति, थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन हेतु नामित मेधज लिमिटेड के कार्यो की प्रगति, पेयजल योजनाओं के हितग्रहियों के प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्था मेसर्स स्वजन फाउण्डेशन के कार्यो की प्रगति पेयजल से सम्बन्धित आई०ई०सी० एक्टीविटी हेतु चयनित संस्था मेसर्स प्योर लाइफ द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु दिनांक 06.07.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। समीक्षा बैठक में सम्बन्धित फर्म एवं समस्त संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति निम्नवत हैं–

1. सतही आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही प्रगति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद बलिया प्रदेश के गुणता प्रभावित जनपदों की श्रेणी में आता है जहाँ पर भू–गर्भ जल के विभिन्न पेयजल अशुद्धियों जैसे– आर्सेनिक फ्लोराइड, आयरन इत्यादि से दूषित हो जाने के कारण पीने योग्य नहीं बचा है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के हेतु जल जीवन मिशन "हर घर नल से जल" कार्यक्रम में जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गंगा एवं सरयु (घाघरा) नदी के जल आधारित सतही स्रोत की तीन नग पेयजल योजनाओं क्रमशः बेलहरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना लागत

रू0 83633.82 लाख, हनुमागंज ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना लागत रू0 138713.48 लाख एवं मनियर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना लागत रू0 118033.66 लाख, कुल लागत 340380.96 लाख (रू0 3403.81 करोड) की स्वीकृति शासन द्वारा कर दी गयी है। उपरोक्त योजनाओं में जनपद के समस्त 17 नग विकास खण्ड अन्तर्गत शुद्ध पेयजल से वंचित 804 ग्राम पंचायतों/1649 ग्रामों में निवासित लगभग 3526168 जनसंख्या लाभान्वित होगी एवं 372034 घरों को नल से जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। योजनाओं में मुख्य कार्यो में 03 नग इन्टेकवेल(118 एम0एल0डी0, 186 एम0एल0डी0, 145 एम0एल0डी0), 03 नग डब्ल्यू0टी0पी0(93 एम0एल0डी0, 148 एम0एल0डी0, 115 एम0एल0डी0), 9 नग सी0डब्ल्यू0आर0, 392 नग अवर जलाशय एवं अन्य कार्य प्रस्तावित है। उपरोक्त योजना की निविदा की स्वीकृति कार्यवाही शासन द्वारा पूर्ण कर ली गयी है एवं चयनित फर्मो द्वारा योजनाओं की डिजाइन हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। माह दिसम्बर 2024 तक जनपद के प्रत्येक निवासित परिवार को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराया जाना लक्षित है। उपरोक्त योजनाओं में समयावधि पूर्ण कर चुकी योजनाए अथवा पूर्व वर्षो में निर्मित योजनाओं में आंशिक जलापूर्ति से सम्बन्धित समस्याओं के निदान भी योजना के पुर्नगठन/रेट्रोफिटिंग करते हुये कराया जायेगा। उपरोक्त योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही में भूमि के चयन की कार्यवाही समस्त तहसीलों द्वारा पूर्ण करायी जा चुकी है मात्र हनुमानगंज ग्राम समूह पेयजल योजना के उब्ल्यू0टी0पी0 के निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही तहसील सदर से अपेक्षित है। उपरोक्त के अतिरिक्त भूमि के स्थलीय चिन्हाकन की कार्यवाही किया जाना है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं में नदियों से जल उठाने हेतु सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सतही आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप कार्यवाही करें एवं आ रही बाधाओं को समय अन्तर्गत निस्तारित करायें। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता बाढ खण्ड सिचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग/रेलवे/नेशनल हाइवे/आर0ई0डी0/पंचायती राज कार्यालय एवं प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर योजना अन्तर्गत कार्य करायें।

<u>कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/समस्त संम्बन्धित विभाग।</u>

2. पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं में विद्युत संयोजन की स्थिति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में पूर्व निर्मित योजनाओं मे 11 नग योजनाओं में विद्युत संयोजन की धनराशि सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड को प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी योजनाओं पर विद्युत संयोजन की कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त के क्रम में प्रत्येक योजनावार बिल प्राप्ति एवं धनराशि प्रेषण एवं संयोजन की वास्तविक स्थिति की विस्तृत सूचना से अधिशासी अभियन्ता,खण्ड कार्यालय(वि0/याँ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), सोनभद्र द्वारा समिति को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड को उपरोक्त समस्त संयोजन की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड तृतीय एवं चतुर्थ</u>

3. आई0एस0ए0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यकम अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने हेतु जनपद की ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के दृष्टिगत जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणता नियंत्रण एवं संचालन अनुरक्षण प्रबन्धन इत्यादि कार्यो के लिए नामित समस्त 05 इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सीयों नामित हैं एवं संस्थाओं को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से 40 अथवा 40 से कम ग्राम पंचायतों के प्रति कलस्टर अनुसार 24 कलस्टर आवंटन की कार्यवाही सदस्य सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व में करायी जा चुकी है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया कि इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सीयों के आर०एफ०पी० के अनुसार प्रत्येक कलस्टर की समस्त ग्राम पंचायतों में 03 फेज क्रमशः प्लानिंग एवं मोवलाइजेशन, इम्पलीमेन्टेंशन फेज एवं पोस्ट इम्पलीमेन्टेंशन फेज अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियाँ की जानी है जिसके क्रम में आई०एस०ए० संस्थाओं द्वारा समस्त आवंटित कलस्टरों में प्लानिंग एवं मोवलाइजेशन के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। जिसमे 09 कलस्टर के बीजक की कार्यवाही पूर्व में पूर्ण कर ली गयी है, 03 कलस्टर में पत्रावली संस्था द्वारा प्रस्तुत की गयी है एवं शेष 12 कलरटर में संस्थाओं द्वारा बीजक भुगतान हेतु पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑडिनेटर डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि समस्त आई०एस०ए० को आवंटित कलस्टर में निर्धारित गतिविधियों को समय अन्तर्गत पूर्ण कराते हुये उक्त की प्रगति से समय-समय पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय सूचना उपलब्ध कराये। उपरोक्त के अतिरिक्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा समस्त आई०एस०ए० को आवंटित कलस्टर में अवशेष बीजक भुगतान की कार्यवाही में संस्थाओं द्वारा कृत कार्यो के सापेक्ष पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर से पंचायत सचिव, आंगनबाडी कार्यकत्री एवं लेखपाल द्वारा कराते हुये विकास खण्ड स्तर से ए०डी०ओ०(पंचायत) एवं खण्ड विकास अधिकारी के सह-हस्ताक्षर से अग्रसारित के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण),कार्यालय एवं डी०पी०एम०यू० कार्यालय से आई०एस०ए० कोऑडिनेटर, पी०एम० फाइनेन्स एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑडिनेटर के सत्यापन उपरान्त पत्रावली अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

<u>कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/समस्तआई०एस०ए०/डी०पी०एम०यू०।</u>

4. टी०पी०आई० के कार्यों की स्थिति :-

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन अथवा निर्मित की जाने वाली योजनाओं के कार्यो को गुणता पूर्वक कराने हेतु शासन द्वारा थर्ड पार्टी इन्सफेक्शन एजेन्सी के रूप में **मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० लखनऊ** नामित है। संस्था प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कार्यो की गुणता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में भग 10 इंजीनियर कार्यरत है कार्यो के आवश्यकता अनुसार कार्यरत कार्मिको की संख्या बढाई जायेगी। वर्तमान में संस्था के इंजीनियर द्वारा सामान्य निरीक्षण के साथ साथ कृत कार्यो के सापेक्ष प्रस्तुत बीजक अन्तर्गत कार्य का निरीक्षण किया जाता है। कार्यो की गुणता उचित पाये जाने के उपरान्त ही संस्था द्वारा बीजक भुगतान हेतु अग्रसारित किया जाता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वर्तमान में निर्माणाधीन एवं भविष्य में निर्मित की जाने वाली सतही आधारित पेयजल योजना के कार्यो को गुणता पूर्वक कराना सुनिश्चित करें।

<u>कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/ मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०</u>

5. संस्था स्वजन फाउण्डेशन द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :-

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक सं० 3917/JJM/PRI/TRAINING/Vol-1/2020-21 दिनांक 03 फरवरी 2022 के माध्यम से संस्था स्वजन फाउण्डेशन ई0- 131 कुर्मांचल नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ को जनपद बलिया के प्रत्येक राजस्वग्राम से 05 महिलाओं,(आशा, ए० एन०एम०, एस०एच०जी० के सदस्यों आदि) को जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण तथा 13 तकनीकी कार्मिकों को यथा- 03 राजमिस्त्री, 02 प्लम्बर, 02फिटर, 02 इलेक्ट्रीशियन, 02 पम्प आपरेटर, 02 मोटर मैकेनिक के सम्बन्ध में प्रशिक्षण हेतु पूर्व में ही नामित किया था। संस्था द्वारा क्षमता सवर्धन गतिविधियों में 13 तकनीकी कार्मिकों को यथा- 03 राजमिस्त्री, 02 प्लम्बर, 02फिटर, 02 इलेक्ट्रीशियन, 02 पम्प आपरेटर, 02 मोटर मैकेनिक के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्व में पूर्ण कर ली गयी है। परन्तु उक्त के

Scanned with OKEN Scanner

अभिलेख कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गयें हैं। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन की बैठक में संस्था द्वारा एफ0टी0के0 किट के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्यवाही समुचित ढंग से न किये जाने फलस्वरूप अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक सं0 819/JJM/PRI/TRAINING/Vol-1/2020-21 दिनांक 08 मई 2023 एवं 818/JJM/PRI/ TRAINING/Vol-1/2020-21 दिनांक 08 मई 2023 के माध्यम से पुनः समस्त राजस्व ग्रामों में अभियान चलाकर एफ0टी0के0 प्रशिक्षण कार्यक्रम में पानी जांच में अक्षम प्रशिक्षित महिलाओं को एफ0टी0के0 किट के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण देने के साथ ही जांच के परिणाम WQMIS पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के निर्देश संस्था को दिये गये है। जिसके क्रम में संस्था द्वारा चयनित महिलाओं के प्रशिक्षण की कार्यवाही कराते हुये सूचना WQMIS पोर्टल पर अपलोड की जा रही है जिसमें 9240 के सापेक्ष 8265 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। चुंकि संस्था द्वारा प्रशिक्षण की कार्यवाही विकास खण्ड स्तर पर की जा रही है। अतः जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा संस्था के बीजक भुगतान की कार्यवाही में संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्य समाप्ति के उपरान्त पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन विकास खण्ड स्तर से खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से अग्रसारित के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), कार्यालय के जू0इं0/स0अभि0 एवं डी0पी0एम0यू0 कार्यालय से सी0बी0 एण्ड टी0 कोऑडिनेटर एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑडिनेटर के सत्यापन उपरान्त पत्रावली अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

<u>कार्यवाही– अधि0 अभि0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0/संस्था स्वजन फाउण्डेशन।</u>

<u>6. मेसर्स प्योर लाईफ सोसायटी द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :–</u>

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय के पत्रांक सं0 249/314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 19 अप्रैल 2023 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में समस्त राजस्व ग्रामों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल तथा जल जनित बीमारियों से बचाव हेतु 12 बिन्दुओ पर जन जागरूकता कार्यक्रम/गतिविधियों कराये जाने हेतु एजेन्सी **प्योर लाईफ सोसायटी, अमरावती (महाराष्ट्र) 444601** को नामित किया गया है। इस सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय के पत्रांक सं0 909/314/JJM/Agency Empanelment/2023-24 दिनांक 12 मई 2023 द्वारा उपरोक्त गतिविधियो को प्रभावी एवं सफल बनाने के दृष्टिगत चरणवार कियान्वयन करने के निमित प्रथम् चरण में 03 गतिविधियों का आयोजन हेतु इम्पैनल्ड/सूचीबद्ध एजेन्सी **प्योर लाईफ सोसायटी अमरावती (महाराष्ट्र)** को निर्देश दिये हैं। संस्था द्वारा निर्धारित गतिविधियों के अनुसार राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर कार्य कराये जा रहे है जिसमें विकास खण्ड– दुबहड में समस्त राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर कार्य पूर्ण किया गया है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त के सत्यापन हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को निर्देशित किया। चुंकि संस्था द्वारा उपरोक्त आई0ई0सी0 एक्टिविटी की कार्यवाही राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर की जा रही है। अतः जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा संस्था के बीजक भुगतान की कार्यवाही में संस्था द्वारा आई0ई0सी0 एक्टिविटी के कार्य समाप्ति के उपरान्त पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन पंचायत सचिव, आंगनबाडी एवं लेखपाल द्वारा कराते हुये विकास खण्ड स्तर से ए0डी0ओ0(पंचायत) एवं खण्ड विकास अधिकारी के सह–हस्ताक्षर से अग्रसारित के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण),कार्यालय के जू0इं0/स0अभि0 एवं डी0पी0एम0यू0 कार्यालय से सी0बी0 एण्ड टी0 कोऑडिनेटर एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑडिनेटर के सत्यापन उपरान्त पत्रावली अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही– अधि० अभि०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०/संस्था प्योर लाईफ सोसायटी ।

7. जनपद में पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं के कार्य प्रगति एवं संचालन रखरखॉव की स्थिति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में निर्माणाधीन योजनाओं को प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर 23 तक पूर्ण कर संचालित किया जाना लक्षित है। जिस पर खण्ड कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा पूर्व निर्मित योजनओं के समुचित संचालन के सन्दर्भ में समिति के समक्ष विचार विर्मश किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन योजनाओं को समय अन्तर्गत पूर्ण कराये एवं पूर्व निर्मित योजनाओं में स्थलीय निरीक्षण कराते हुये विकास खण्ड स्तर पर बैठक कर संचालन कराये।

कार्यवाही– अधि० अभि०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/जिला पंचायत राज अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं यथा–आई०एस०ए०, टी०पी०आई०, डी०पी०एम०यू० एवं अनय संस्थाओं को उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को शासन/प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराने के निर्देश दिये एवं जनपद में निर्मित की जाने वाली सतही पेयजल योजना के निर्माण में आने वाली समस्त समस्याओं का निराकरण कराते हुए समस्त पेयजल योजनाओं के कार्यो को निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत पूर्ण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(प्रवीण वर्मा)
मुख्य विकास अधिकारी

पृ०सं०: 1130 / JJM / 26 दिनांक: 18 / 07 /2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, किसान बाजार, गोमती नगर, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
3. अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मण्डल, बलिया।
4. मुख्य राजस्व अधिकारी, बलिया।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, बलिया।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
7. जनपदीय टीम लीडर, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० लखनऊ।
8. जिला समन्वयक, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट, बलिया।
9. समस्त आई०एस०ए० बलिया।
10. जनपदीय टीम लीडर, स्वजन फाउण्डेशन, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
11. जनपदीय टीम लीडर, मेसर्स प्योर लाईफ, अमरावती, महाराष्ट्र।

मुख्य विकास अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner